बिहार लोक सेवा आयोग
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

साक्षात्कार कार्यक्रम

श्रम संसाधन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन वाष्पित्र निरीक्षक के 02 (दो) पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या– 02/2018 के साक्षात्कार कार्यक्रम एवं निदेश :–

दिनांक एवं दिन	**एकल पाली (समय 02:00 बजे अपराह्न से) उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नम्बर/अनुक्रमांक**
29.09.2022 (वृहस्पतिवार)	**201802000012, 201802000127, 201802000161, 201802000167, 201802000333, 201802000556 , 201802000696 एवं 201802000807**

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार तिथि के एक सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर/अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। **साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। उक्त वेबसाईट पर 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I एवं 2. परीक्षावार प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी एवं रजिस्ट्रेशन संख्या का विवरण प्रपत्र–II उपलब्ध हैं जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।**
3. **साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी लाना अनिवार्य होगा:–**

(i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(ii) इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(iii) बी॰ई॰/बी॰टेक॰ का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(iv) एम॰ई॰/एम॰टेक॰ का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(v) ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर निर्गत बी॰ई॰/बी॰टेक॰/स्नातक एवं एम॰ई॰/एम॰टेक॰/स्नातकोत्तर के अंक पत्र/प्रमाण पत्र की स्थिति में ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सम्बन्धित संस्था/विश्वविद्यालय से निर्गत मूल प्रमाण पत्र।

(vi) Board of Trade certificate का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(vii) Associate Membership of the Institute of Mechanical Engineer का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(viii) अनुभव प्रमाण पत्र।
(नोटः–अनुभव प्रमाण–पत्र निजी संस्थान के मामले में दखलकार द्वारा निर्गत होना चाहिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र/केन्द्र सरकार के संस्थान के संबंध में वैसे व्यक्ति जो सरकार से पत्राचार के लिए प्राधिकृत किए गए हों, उनके स्तर से निर्गत होना चाहिए।)

(ix) **पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)** प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (NCLC) में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आरक्षण कोटि (पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग), जाति एवं क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं ,का उल्लेख हों।

(x) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)** प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आरक्षण कोटि (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), जाति का उल्लेख हों।

(xi) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)** प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त निवास प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता का उल्लेख हों।

(xii) दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
नोटः– अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

(xiii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त) यथा – मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

(xiv) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

4. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, इत्यादि मूल में एवं इसकी दो छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
5. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
6. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का **इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि** आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
7. कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार के द्वारा जारी आदेश के आलोक में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे **कोविड टीकाकरण (Vaccination) प्रमाण पत्र** के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों।
8. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।
9. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

6.9.22

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना